276

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई | मुकाम अराई (अजमेर)

• उगमा पुत्र रतना जाति बलाई निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।
–प्रार्थी

बनाम

• कैलाश पुत्र श्रवण जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।
–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13, 151 सी.पी.सी.

दर्ज क्रमांक 95/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/............

वकील प्रार्थी :– इन्द्रेश कुमार | **वकील अप्रार्थीगण....................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01/10/24......	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार ने अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13, 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक ...18/10/24... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों के तामिल शुदा प्राप्त जो शा.मि. उनकी ओर से वकील श्री योगेश शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शा.मि.। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 81 भू.राज. अधि. पर बहस हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उन्हे धारा 81 भू.राज. अधि. के प्रा पत्र की नकल दिलवाई जावे। नकल दी जावे। प्रकरण की आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुये हमारे द्वारा प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 81 भू.राज. अधि. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	C. No. 95/2024 उगमा v/s कैलाश
	ना हो तथा वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े अतः न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 10/2023 उनवान कैलाश बनाम उगमा अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act. में पारित आदेश दिनांक 21/6/2024 की पालना को आगामी पेशी दिनांक 22/11/2024 तक स्थगित किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराईं (अजमेर)
22/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र आदेश 09 नियम 13 पर बहस हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि यदि हस्तगत प्रा० पत्र आदेश 09 नियम 13 को स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 C.P.C. को स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिये जाते है कि मूल प्रा० पत्र क्रमांक 10/2023 उनवान कैलाश बनाम उगमा को पुनः नवीन नम्बर पर दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी हेतु उक्त प्रा० पत्र में वकील प्रार्थी को सूचित किया जावे। हस्तगत प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर मूल प्रा० पत्र क्रमांक 10/2023 उनवान कैलाश बनाम उगमा में संलग्न किया जावे। हस्तगत प्रा० पत्र नम्बरान से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अराईं (अजमेर)

09 R 13 स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।
22/11/2